न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 184/2022

अनवान : –

1. मलकीत सिह पुत्र दशर्नसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

असल

प्रतिवादी

2. दर्शनसिह पुत्र गुरदयाल सिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।

– तरतीबी **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
2. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 15/5/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 7 जीजीएम के खाता संख्या 100/57 के प0न0 396/458(68) के किला न0 1 ता 25 कुल 6.350हैक्ट भूमि स्थित है उक्त भूमि की भाई बटवारा में प्रार्थी के खेत के प0न0 396/458 (68) के किला न0 21 ता 25 में प्रार्थी ने स्वैच्छा से आड सिचाई हेतु छोड रखी थी जिसमें प्रार्थी खूद के खेत में सिचाई करता था तथा पडोसी भी इसी आड से पानी लगाते थे जो आपसी सहमति से वादी ने स्वैच्छा से दे रखी थी

अब सिचाई विभाग के द्वारा चक स्कीम के अनुसार सभी खेतों में खाले बनकर तेयार हो चुके है और अब स्वीकृत शुद्वा चक प्लान के अनुसार बने खालों से ही सिचाई हो रही है इसलिये प्रार्थी के खेत के प0न0 396/458(68) के किला न0 21 ता 25 में बनी आड की आवश्यकता नही रही है लेकिन आपसी सहमति से छोडी गई आड को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन खाला के तौर पर दर्ज कर दिया गया जो वर्तमान में किसी काम की नही है वर्तमान में स्वीकृत चक स्कीम के खालों से सिचाई जा रही है।

वादी ने सिचाई विभाग से निवेदन किया की उक्त खाला जो उपयोग में नही आ रहा है को निरस्त किया जाकर तथा हमारे खेत में खाला है या नही की प्रमाण पत्र जारी कर दिया की प्रार्थी के खेत में सिचाई विभाग का कोई खाला स्वीकृत नही है ना ही खाले की आवश्यकता है वादी ने वर्तमान में किला न0 21 ता 25 किला में फसल काश्त कर रखी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:17:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादी की भूमि किला न0 21 ता 25 में गेरमुमकिन खाला दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की प्रार्थी की भूमि में वर्तमान में कोई खाला नही है वादी की गैर मुमकिन भूमि को राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम से मुमकिन दर्ज की जावे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः रोही मोजा चक 7 जीजीएम के प0न0 396/458(68) किला न0 21/2 ,22/2 ,23/2 ,24/2 ,25/2 तथा 25/3 में दर्ज गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादी के खाते में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावे।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी सख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर पटवारी हल्का से मौका जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र एवं सिचाई विभाग की रिपोर्ट आदि प्रस्तुत की गई साक्ष्य शामिल मिसल किये जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 7 जीजीएम के खाता संख्या 100/57 के प0न0 396/458(68) के किला न0 1 ता 25 कुल 6.350हैक्ट भूमि स्थित है उक्त भूमि की भाई बटवारा में प्रार्थी के खेत के प0न0 396/458 (68) के किला न0 21 ता 25 में प्रार्थी ने स्वैच्छा से आड सिचाई हेतु छोड रखी थी जिसमें प्रार्थी खूद के खेत में सिचाई करता था तथा पडोसी भी इसी आड से पानी लगाते थे जो आपसी सहमति से वादी ने स्वैच्छा से दे रखी थी

अब सिचाई विभाग के द्वारा चक स्कीम के अनुसार सभी खेतों में खाले बनकर तेयार हो चुके है और अब स्वीकृत शुद्वा चक प्लान के अनुसार बने खालों से ही सिचाई हो रही है इसलिये प्रार्थी के खेत के प0न0 396/458(68) के किला न0 21 ता 25 में बनी आड की आवश्यकता नही रही है लेकिन आपसी सहमति से छोडी गई आड को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन खाला के तौर पर दर्ज कर दिया गया जो वर्तमान में किसी काम की नही है वर्तमान में स्वीकृत चक स्कीम के खालों से सिचाई जा रही है।

वर्तमान में चक में नई स्कीम के तहत बनाये गये खालों से सिचाई जा रही है प्रार्थी के खेत में कोई खाला नही है अतः रोही मोजा चक 7 जीजीएम के प0न0 396/458(68) किला न0 21/2 ,22/2 ,23/2 ,24/2 ,25/2 तथा 25/3 में दर्ज गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादी के खाते में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जाकर निवेदन किया की खाले स्वीकृत करना एवं खारिज करना सिचाई विभाग का काम है सिचाई विभाग से रिपोर्ट ली जाकर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:17:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा नवीनतम जमाबंदी, रिपोर्ट अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर, मौका रिपोर्ट तहसीलदार आदि का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत जमाबन्दी रोही मौजा चक 7 जीजीएम के अनुसार प0न0 396/458 (68) के किला न0 21/2 ,22/2 ,23/2 ,24/2 ,25/2 तथा 25/3 में दर्ज गै0मु0 खाला दर्ज है जो सिचाई विभाग द्वारा गै0मु0 खाला दर्ज किया गया था।

वादी का कथन है कि नई चक स्कीम के अनुसार सीएडी विभाग के द्वारा 21/2 ,22/2 ,23/2 ,24/2 ,25/2 तथा 25/3 में दर्ज गै0मु0 खाला स्वीकृत नही किया जाकर अन्य जगह पर पक्के खालो का निर्माण किया जाकर उक्त किलो में खाला निरस्त किया जा चुका है सिचाई विभाग के रिकार्ड अनुसार उक्त खाला स्वीकृत नही है।

सिचाई विभाग की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया की रोही मोजा चक 7 जीजीएम कें प0न0 396/458(68) के किला 21/2 ,22/2 ,23/2 ,24/2 ,25/2 तथा 25/3 में दर्ज गै0मु0 खाला स्वीकृत नही है सिचाई विभाग की रिपोर्ट से वादी के कथनों की पूष्टि होती है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार भी रोही मौजा चक 7 जीजीएम के प0न0 396/458(68) के किला न0 21/2 ,22/2 ,23/2 ,24/2 ,25/2 तथा 25/3 में मौके पर कोई खाला नही उक्त भूमि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी के द्वारा काश्त की जा रही है मौक पर खाता अन्य जगह पर चल रहा है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अर्थात तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट से भी वादी के कथनों की पुष्टि होती है।

इसप्रकार सिचाई विभाग की रिपोर्ट एवं तहसीलदार नोहरी की मौका रिपोर्ट अनुसार रोही मौजा चक 7 जीजीएम के प0न0 396/458(68) के किला न0 21/2 ,22/2 ,23/2 ,24/2 ,25/2 तथा 25/3 में कोई खाला स्वीकृत नही है ना ही मौके पर खाला चल रहा है उक्त भूमि वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण के द्वारा काश्त की जा रही है उक्त रिपोर्ट से वादी के कथनों की पूष्टि होने से वादी का वाद साबित होता है।

उक्त किलो की वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 खलाा दर्ज है। गै0मु0 खाला अथवा रास्ता के बदलाव/निरस्तीकरण हेतु राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 8(1) व 8(2) में वर्णित प्रावधानों व प्रदत्त शक्तियों तथा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011(1) स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम राजपाल पेज न0 167, आरआरडी 1987 पेज न0 279 एवं आरआरडी 1998 पेज न0 699 के अनुसार जब कभी भी किसी कारणवंश पूर्व में निर्मित रास्ता एवं खाले को निरस्त किया जाता है तो वह रास्ता एवं खाले की भूमि उसी काश्तकार के खाते में प्रत्याहित [illegible] यह कम की गई थी।

वादी के द्वारा सैल रजिस्टर अर्थात [illegible] के साक्ष्य का साक्ष्य पेश किया गया है जिसके अनुसार वादी एव त[illegible] पूर्वजों को रोही मोजा चक 7 जीजीएम के प0न0 396/458(68) के किला न0 1 ता 25 [illegible]वंटन किया गया था जो सैल रजिस्टर में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:17:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दर्ज आवंटन की गई भूमि के विवरण से पूर्णत्या साबित है एवं वादी के द्वारा पर्चा खतौनी की प्रति पेश की गई है जिसमें किला न0 21/2 ,22/2 ,23/2 ,24/2 ,25/2 तथा 25/3 में दर्ज गै0मु0 खाला की भूमि को वादी के खाते में दर्ज किया गया है अर्थात आवंटन होने के बाद खाला की आवश्यकता होने पर वादी के खाते में ही खाला दर्ज किया गया है।

वर्तमान में जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट अनुसार उक्त किलों में खाला स्वीकृत नही किया गया है तथा तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट अनुसार मौका पर खाला का निर्माण नही है ना ही मौका पर कोई खाला नही है जब सिचाई विभाग के द्वारा खाला निरस्त किया जा चुका है इसलिये वादी की भूमि में से गै0मु0 खाला के लिये कम की गई भूमि को पूनः वादी अपने नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

तहसीलदार नोहर एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर द्वारा भी रिपोर्ट प्रेषित कि गई की उक्त किलों में वर्तमान में कोई खाला नही है एवं नई चक स्कीम के अन्तर्गत भी उक्त किलों में खाता स्वीकृत भी नही है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी साक्ष्य सबूतों, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जल संसाधन विभाग नोहर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार (राजस्व) नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर एवं तहसीदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 100/57 के प0न0 396/458 मु0न0 68 के किला न0 21/2 की 0.025हैक ,22/2 की 0.0250हैक ,23/2 की 0.025हैक ,24/2 की 0.025हैक ,25/2 की 0.0260हैक तथा 25/3 की 0.0250हैकं गै0मु0 खाला के अंकन को निरस्त किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादी के खाते में मुमकिन बतौर खातेदार दर्ज किया जाता है अर्थात रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 100/57 के प0न0 396/458 मु0न0 68 के किला 21 ता 25 दर्ज गै0मु0 खाला की भूमि को वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण के खाते में मुमकिन बतौर खातेदार दर्ज की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संशोधन की जावे । व्यय वार्द उभय पक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/05/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:17:27 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 184 / 2022

अनवान : –

1. मलकीत सिह पुत्र दर्शनसिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

असल प्रतिवादी

2. दर्शनसिह पुत्र गुरदयाल सिह जाति जटसिख निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।

– तरतीबी **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 184 सन 2022 निर्णय दिनांक 15/05/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रामकुमार बैनीवाल एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर एवं तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 100 / 57 के प0न0 396 / 458 मु0न0 68 के किला न0 21 / 2 की 0.025हैक ,22 / 2 की 0.0250हैक ,23 / 2 की 0.025हैक ,24 / 2 की 0.025हैक ,25 / 2 की 0.0260हैक तथा 25 / 3 की 0.0250हैकं गै0मु0 खाला के अंकन को निरस्त किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादी के खाते में मुमकिन बतौर खातेदार दर्ज किया जाता है अर्थात रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 100 / 57 के प0न0 396 / 458 मु0न0 68 के किला 21 ता 25 दर्ज गै0मु0 खाला की भूमि को वादी एव तरतीबी प्रतिवादीगण के खाते में बतौर खातेदार दर्ज की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संशोधन की जावे । व्यय वार्द उभय पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:17:27 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर